10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | 2 COURT FEE TWO RUPEES | 2 TWO RUPEES | 1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

CANCELLED CANCELLED

(23)

R 772-II/08

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2008 पुनरीक्षण

(1) रुस्तम सिंह पुत्र मंगल सिंह काछी

(2) हरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीपाल

(3) अभिलाख सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह जाति काछी

निवासी :- ग्राम डूगर परगना मेहगाँव

जिला - भिण्ड(म०प्र०)

— निगरानीकर्ता

विरुद्ध

काशीराम पुत्र मंगल सिंह, काछी

निवासी : ग्राम डूगर परगना मेहगाँव

जिला भिण्ड - म०प्र०

-- गैरनिगरानीकर्ता

प्रस्तुत आज दि० 04/07/08 को ... द्वारा प्रस्तुत।

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध अपर कलेक्टर जिला भिण्ड में प्रकरण क्रमांक 69/06-07/ नि. माल में पारित आदेश दिनांक 30.4.08 से दुखित होकर धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

सेवा मे मुझ निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न आधारों व तथ्यों पर प्रेस्तुत है :-

(1) यह कि परगना मेहगाँव जिला भिण्ड की सीमा स्थित भूमि क्रमांक 759/ 2 रकबा 6.531 मे निगरानी कर्ता व नोन - निगरानी कर्ता संयुक्त रुप से खेती करते चले आ रहे है संलग्न खसरा छाया प्रति 2039 लगायत 2043 तक काबिज है।

(2) यह कि, अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता उक्त पट्टा कराना बताया पट्टा परिवर्तित होकर 611 व 617 बना होना बताया । पट्टा की वैधता बावत अपील संचालित है तथा आयुक्त महोदय एवं

-2- R. 772-II/08 (निग.)

6-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, विदिशा के प्रकरण कमांक 42/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 24-4-13 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के मृत हो जाने के कारण उसके वारिसों को अभिलेख पर लिए जाने हेतु दिनांक 18-2-16 को वारिसाना आवेदन पेश किए जाने हेतु समय चाहा गया था जो उन्हें न्यायहित में दिया गया एवं प्रकरण में दिनांक 4-3-16 नियत की गई । दिनांक 4-3-16 को उन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे आगामी पेशी दिनांक 7-4-16 के पूर्व वारिसाना आवेदन पेश करें । आवेदन

R - 772.II/08 (Finish)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन पेश न करने की स्थिति में प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जायेगा । किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक वारिसाना आवेदन पेश नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह प्रकरण न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकारों को सूचना दी जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	